संख्या-34/2020/2454/22-2-2019-17(1106)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णनाथ उर्फ रामकृष्ण पाठक पुत्र श्री अयोध्या पाठक, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 06.08.2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी कृष्णनाथ उर्फ रामकृष्ण पाठक पुत्र श्री अयोध्या पाठक, जो पंचमोहनी, थाना-पथरा बाजार, जनपद-सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा गेहूँ की फसल काटने को लेकर दिनांक 11.04.1982 को दोनों पक्षों में हुए विवाद एवं झगड़ा होने पर जिसमें 02 व्यक्तियों की मौत हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-44/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 326/149, 324/149, 323/149, 148 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 01.05.1986 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय क आदेश दिनांक 28.04.2014 द्वारा यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बंदी कृष्णनाथ उर्फ रामकृष्ण पाठक (बन्दी संख्या-110/2018) पुत्र श्री अयोध्या पाठक, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2020/2454(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in